

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223175  
CG-DL-E-19112020-223175

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]  
No. 596]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 727 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर संस्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.**- " लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह" के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में एक सौ रुपये केवल मूल्यवर्ग के सिक्के का निर्माण किया जायेगा।
3. **सिक्के का आकार और संरचना.**-  
नियम 2 में उल्लिखित मूल्यवर्ग के सिक्के, निम्नलिखित आकार और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-